अंचल कार्यालय महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–109/16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4(H)के अर्न्तगत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
	इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)–95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता पाकुड़ के आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातार्न्तगत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जॉच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा–देवीनगर थाना संख्या–118 अनाबादी खाता संख्या–81 दाग संख्या–148 रकबा–05 बीधा 12 कट्ठा 18 धूर किस्म–पोखर कहकर सर्वे खतियान में दर्ज है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित दाग की भूमि जिसका खतियानी किस्म–पोखर है एंव जो गैर मजरूआ आम श्रेणी की भूमि है, राजस्व पंजी–।। के पृष्ठ संख्या–202 में अश्विनी कुमार सिंह, देवीनगर के नाम से निराधार जमाबंदी कायम है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा सभी तथ्यों एंव दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एंव सरकारी भूमि पर गलत/फर्जी दस्तावेजों की आड में रैयती दावा करने के कुप्रयास के तहत् जमाबंदी कायम की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा लोकहित एंव सरकार के हित में विपक्षी के नाम कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की गई है। इस कार्यालय के ज्ञापांक–539/रा0 दिनांक 18.07.20216 से विपक्षी को स्वदावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्गत नोटिश, जिसकी प्राप्ति अभिलेखबद्व है, के प्रत्युत्तर मे श्री सत्यवान सिंह साकिन–देवीनगर, जिन्होंने पंजी–।। रैयत के साथ स्वंय के रिश्ते को स्पष्ट नहीं किया है, के द्वारा प्रश्नगत दाग की भूमि पर स्वदावे के समर्थन में तत्कालीन भुतपूर्व मध्यवर्त्ती द्वारा निर्गत कथित अनिबंधित हुक्मनामा/परवाना–सह–भूलगान रसीद की छायाप्रति के साथ–साथ वर्ष 1984–85 एंव 2005–06 के सरकारी भू–लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया गया है। चूंकि यह विदित एंव स्थापित है कि अनाबादी खाता की भूमि, जिसकी तत्कालीन जमींदार के द्वारा विधिवत बन्दोबस्ती प्रदत्त है, के सत्यता, शुद्धता की जॉच हेतु जमींदारी उन्मूलन के पूर्व एंव तत्पश्चात राज्य सरकार के पक्ष में भुगतेय वर्षवार भू–लगान रसीद का अवलोकन आवश्यक है। विपक्षी के उत्तराधिकारी के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत हो कि प्रश्नगत दाग की भूमि की विपक्षी के पक्ष में विधिवत एंव नियमानुसार जमाबंदी कायम की गई है। यह स्थापित है कि तत्कालीन जमींदार को गैर मजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती का अधिकार सीमित था। जहॉ तक भू–लगान रसीद का प्रश्न है, तो यह मान्य है कि लगान रसीद पूर्वाग्रह रहित होते है एंव मात्र भू लगान रसीद के आधार पर किसी के स्वत्वाधिकार को बिना ठोस आधार साक्ष्य दस्तावेज के नहीं माना जा सकता है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा राजस्व पंजी–।। के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत कायम जमाबंदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एंव सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत् कायम की गई है जिसका लोकहित एंव सरकार के हित में विलोपन आवश्यक है। विपक्षी द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि बिना आधार एंव स्वत्व दस्तावेज के बिहार भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से राजस्व पंजी–।। में विपक्षी के नाम यह जमाबंदी कायम कराई गई है, जिसका सरकार एंव लोकहित में विलोपन अत्यावश्यक है। अतः मौजा–देवीनगर थाना संख्या–118 अनाबादी खाता संख्या–81 दाग संख्या–148 रकबा–05 बीधा 12 कट्ठा 18 धूर किस्म–पोखर की राजस्व पंजी–।। के पृष्ठ संख्या–202 में श्री अश्विनी कुमार सिंह साकिन–देवीनगर के नाम से बिना आधार साक्ष्य के कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख स्वीकृत्यादेश हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ को भेजें। 04/10/22 अंचल अधिकारी महेशपुर	

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2021.10.22 18:54:23 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:34f3:3b2:3f57:ff96

Scanned with CamScanner